

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 केवी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारवण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 200 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

(जब अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख सतम्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the

District Collector--*Pauri Garhwal*

No---

Dated--*27/01/19*

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that *3.893* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *UPPL muzaoffavagar* (name of user agency) for *Replacement of damaged power line* (purpose for diversion of forest land) in *Pauri* district falls within jurisdiction of *Srikot Gargheli* village (s) in *Srinagar* tehsils. *28 of 910 KU VMTL*

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *3.893* hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

मिलाधिकारी
गढ़वाल

Encl: As above. Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - *Rawat*
No. ---

Dated: *21/11/19*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-0/08-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that *2.893* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *UPPCL* (name of user agency) for *Replacement of Jamshep Power No. 2 of Govt. of U.P.* (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of *Solei Bagrah* village (s) in *Sirsi* tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *2.893* hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of *Solei Bagrah* village(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the FRA

Encl: As above.

मिल्लधिकारी
महाराज

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ---Pauri-- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Suchil K. KUMAR I.A.S deputy commissioner, on dated 13.12.2019 at time 3.00 P.M. at Pauri in which application claiming rights in area measuring 3.893 hect for the construction of damage Tower No. 266 forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri

Dated: 07/01/2019

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

निर्वाहकारी
महसूल

It is further certified that – Minutes of meeting of Construction of two tower instead of damaged tower no 266 of 400 kv Double circuit Vishnuprayag to Muzaffarnagar high tension electricity transportation line in district Pauri Garhwal.

S.No.		Remark
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 3.893 hectare (Civil and Soyam land) proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right communities, Sub division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned villagers regarding construction of said tower is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribes groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

Executive Engineer
Electy. 400 kv. S/S Division
U.P.R.C. Jolly Road
Muzaffarnagar

गिलाधिकारी
गढ़वाल

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पोड़ी

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड उप वन प्रभाग पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, 3.893 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.893 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.893 हे0 वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 23/10/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री माया देवी जोशी उपजिलाधिकारी श्रीनगर अध्यक्ष
- 2- श्री राम के वरुण उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य
- 3- श्री विनोद कुमार उपायुक्त समाज कल्याण अधिकारी श्रीनगर सदस्य/सचिव
- 4- श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य पौड़ी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण परियोजना हेतु 3.893 हे0 वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 3.893 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंजूर पौड़ी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
श्रीकेश गंगानाथ, पि0 ख0 विष्णु

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-23/10/18

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट बिष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्रीमोह गंगनाली
तहसील श्रीगंग पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद —पौड़ी— के अन्तर्गत —400 के0 वी0 द्विपथ बिष्णुप्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो नये टावरों का निर्माण कार्य-परियोजना के निर्माण हेतु (-0.00-— हे0 आरक्षित वन भूमि, -3.893-— हे0 सिविल संयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.893-— हे0 वन भूमि का —विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्रीमोह गंगनाली द्वारा दिनांक 27/1/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्रीमोह गंगनाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि —UPPTCL— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 श्रीमोह गंगनाली
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड - खिर्सू
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

दिनांक 26/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत श्रीमोह गंगनाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र
②	विनोद लाल	विनोद
③	बनवारी लाल	बनवारी
④	रमेश उलाह	रमेश

